न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–02/2020

सुब्बा राम एवं अन्य...वादीगण

बनाम

व्यास यादव एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
28.01.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 13.05.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 तथा आदेश 22 नियम 09 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 व्यास यादव की मृत्यु दिनांक 20.08.2023 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी सं0–01 व्यास यादव के विधिक वारिसानों में पत्नी हेवली देवी, दो पुत्र करन यादव एवं रोहित यादव को छोडकर स्वर्गवास हुये है। अतः वादपत्र से प्रतिवादी सं0–01 व्यास यादव का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें, जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 व्यास यादव की मृत्यु हो गई है, जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। आवेदन के समर्थन में वादीगण की ओर से शपथपत्र तथा परिसीमा अधिनियम की धारा 05 का आवेदन भी दाखिल किया गया है। वादीगण का आवेदन समय सीमा के अंतर्गत दाखिल नहीं किया गया है फिर भी न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 13.05.2024 को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–02/2020

सुब्बा राम एवं अन्य..वादीगण

बनाम

व्यास यादव एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 28.01.2025	दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–01 व्यास यादव का नाम कलमजद करें तथा मृतक के विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें तद्पश्चात वादीगण की ओर से प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक 20.03.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	